कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकःविविध/सीएफओ–जीबीएन/2018 दिनांकःमई 04 ,2018।

सेवा में,

श्री विपिन मल्हन,
अध्यक्ष,
नोएडा एण्टरप्रिन्योर्स एसोसिएशन,
नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

कतिपय व्यक्तियों द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र(एन0ओ0सी0) दिलाने के नाम पर कुछ बिचौलियों द्वारा उद्यमियों से धन की मांग की जाती है तथा उन्हें यह कहकर डराया जाता है कि आप अगर स्वयं अग्निशमन विभाग में एन0ओ0सी0 हेतु जायेंगे तो आपको एन0ओ0सी0 नहीं मिल पायेगी। इसलिये मेरे माध्यम से एन0ओ0सी0 हेतु आवेदन कर दीजिए। कुछ लोग उद्यमी बन्धुओं से अपने को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorised Signatory) भी घोषित करा लेते हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय बिचौलिये उद्यमी बन्धुओं से बार–बार मिलते हैं और बताते हैं कि आपकी फैक्ट्री में अमुक कमी है। इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी, तभी एन0ओ0सी0 प्राप्त हो सकेगी।

आपके माध्यम से मैं सभी उद्यमी बन्धुओं को बताते हुये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सभी उद्यमी बन्धु निर्भीक होकर स्वयं वांछित प्रपत्रों के साथ अपना आदेवन पत्र लेकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय आयें। किसी के बहकावे में कदापि न आयें और न ही भयाक्रान्त हों।

यदि कोई विभागीय व्यक्ति भी आपको प्रताड़ित करता है या धन की मांग करता है तो अविलम्ब मुझे 9870395019 अथवा 9999872222 पर अवगत करायें।

उल्लेखनीय है कि अधोहसक्षरी कार्यालय में उ0प्र0 सरकार की नीतियों के अनुरूप गुण–दोष के आधार पर ही अनापत्ति अथवा आपत्ति निर्गत की जाती है। अतः बिचौलियों अथवा अपनी फर्म के बाहर के किसी व्यक्ति को इस कार्य हेतु अधिकृत न करें।

4.5.18

(अरुण कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

2–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

Noida Entrepreneurs Association
Letter No. 24
Date 08/05/18
Signature
NOIDA